BSES

जींस फैक्टरियों के मालिकों ने दिया आश्वासन – जल्द लेंगे बिजली कनेक्शन

नई दिल्लीः 27 अक्टूबर, 2011। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, बीवाईपीएल द्वारा पूर्वी दिल्ली की जींस फैक्टरियों के खिलाफ की गई छापेमारी का व्यापक असर हुआ है। बिजली का मीटर नहीं लगवाने पर आमादा, जींस फैक्टरियों के मालिकों ने अब मीटर लगवाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। कई फैक्टरी मालिकों ने आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द बिजली का कनेक्शन ले लेंगे। फैक्टरी मालिकों ने कहा है कि अगर कुछ दिनों की भीतर वे मीटर नहीं लगवाते हैं, तो उनके खिलाफ छापेमारी की जा सकती है।

बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए, 15 दिनों के भीतर बीवाईपीएल टीम ने पूर्वी और मध्य दिल्ली के कठिन इलाकों में 3789 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी है। साथ ही, बिजली चोरों पर 4 करोड़ 50 लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया है। यदि बिजली चोर जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, उनके खिलाफ बिजली की स्पेशल कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी में 5 साल तक की जेल हो सकती है।

इधर, कृष्णा नगर, सीलमपुर और यमुना विहार में चल रही अवैध जींस फैक्टरियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। कुछ जगहों पर एन्फोर्समेंट टीम के साथ हाथापाई की गई, लेकिन टीम ने कहीं भी छापेमारी नहीं रोकी। कठिन इलाकों में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस का सहयोग भी लिया गया।

हाल के दिनों में जींस फैक्टरियों में बिजली चोरी के खिलाफ की गई कार्रवाई पहले तो स्थानीय दबंगों को रास नहीं आई। उन्होंने न सिर्फ एन्फोर्समेंट टीम को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, बल्कि उसके साथ हाथापाई भी की गई। लेकिन स्थानीय दबंगों के कड़े विरोध के बावजूद बीवाईपीएल टीम ने छापेमारी को अंजाम दिया। साथ ही, फैक्टरी मालिकों को यह बात साफ कर दी गई कि चाहे कितना भी विरोध क्यों न हो, वे छापेमारी नहीं रोकेंगे। या तो फैक्टरी मालिक बिजली का मीटर लगवाएं, या फिर अपने खिलाफ कड़े आर्थिक जुर्माने और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब ऐसी छापेमारी नियमित तौर पर की जाएगी। गौरतलब है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत बिजली चोरी के मामले में भारी जुर्माने और पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, और बीवाईपीएल सीईओ श्री रमेश नारायणन के बीच बिजली चोरी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके बाद बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने पूर्वी और मध्य दिल्ली में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। हाल ही में हुई इस बैठक में कृष्णा नगर, सीलमपुर और यमुना विहार में जींस फैक्टरियों द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही बिजली चोरी से भी स्पेशल पुलिस कमिश्नर को अवगत कराया गया।

कृष्णा नगर डिविजन स्थित जींस फैक्टरियों के बारे में कुछ तथ्यः

- यहां जींस का 300 करोड़ रूपये का अवैध कारोबार है।
- हर फैक्टरी में 8 किलोवॉट की क्षमता वाला स्टीम प्रेस है।
- हर फैक्टरी में 7.5 किलोवॉट का थ्रेड डाइंग मशीन है।
- अवैध जींस फैक्टरियां सेल्स टैक्स, एक्साइज जैसे विभागों को भी चूना लगा रही हैं।
- यमुना को प्रदूषित कर रही हैं।
- वे बिजली का अवैध उपयोग तो कर रही हैं, साथ ही भूजल का भी अवैध दोहन कर रही हैं।
- ज्यादातर फैक्टरियों के पास लाइसेंस नहीं है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999415 / 9350130304